



छत्तीसगढ़ शासन
Government of Chhattisgarh

अर्द्धशासकीय पत्र क्र. : 1837/CS/2017
नया रायपुर, दिनांक : 09 AUG 2017

विषय:- भू-अभिलेखों (खसरा एवं बी-1) के डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रतिलिपि प्राप्त करने की योजना का क्रियान्वयन।

प्रिय साह्य,

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भू-अभिलेखों (खसरा एवं बी-1) के डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रतिलिपि प्रदाय करने की योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमि से संबंधित खसरा/बी-1 की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त सत्यप्रतिलिपि कभी भी, कहीं से भी निःशुल्क प्राप्त कर सकता है।

उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि हल्का पटवारी के द्वारा अपने प्रभार के सभी ग्रामों के सभी खसरा नम्बरों से संबंधित डाटा का सत्यापन डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जावे। प्रत्येक हल्का पटवारी को यह कार्य 2 माह के निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना है। अतः सभी जिला कलेक्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि हल्का पटवारी से उक्त कार्य समय-सीमा में पूर्ण करावें। प्रगति की सतत् समीक्षा हेतु 'भुइयां' की वेब साइट के डेस्क बोर्ड में ग्रामवार खसरा एवं बी-1 के सत्यापन की अद्यतन स्थिति देखी जा सकती है।

अतः डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त खसरा/बी-1 की प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदाय करने एवं योजना की सतत् समीक्षा के साथ-साथ योजना का समुचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जावे। निकट भविष्य में मेरे द्वारा इस योजना की समीक्षा वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से की जावेगी।

जिले में योजना के क्रियान्वयन की प्रगति के संबंध में संलग्न प्रारूप में पाक्षिक रूप से अपने अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से मुझे नियमित रूप से अवगत करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

सहनेह,
भव दी य
Givend
(विवेक ढाँड)

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

भू-अभिलेखों (खसरा / बी-1) की डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन की अवतन स्थिति

जिला

क्र.	तहसील नाम	अभिलेखों की संख्या		डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित अभिलेखों की संख्या		डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित अभिलेखों का प्रतिशत		डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन हेतु शेष अभिलेखों की संख्या	
		खसरा की संख्या	खातों की संख्या	खसरा की संख्या	खातों की संख्या	खसरे का प्रतिशत	खातों का प्रतिशत	खसरा की संख्या	खातों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
कुल योग									

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ रायपुर

फोन नं. 0771-2234583, 2234584, 2234578, फेक्स 0771-2237480, 0771-2234579

ई-मेल clr-cg@nic.in

खसरा/बी-1 की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रतिलिपि प्रदाय योजना

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा खसरा/बी-1 की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रतिलिपि प्रदान योजना प्रारम्भ की जा रही है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, किसी भी भूमि से संबंधित खसरा/बी-1 की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रतिलिपि कभी भी, कहीं से भी ऑनलाइन निःशुल्क प्राप्त कर सकता है।

इस योजना के तहत सभी पटवारी भुइयां सॉफ्टवेयर में अपने-अपने प्रभार के ग्रामों से संबंधित भूमि के खसरा एवं बी-1 को डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से सत्यापित करेंगे। इस हेतु सभी हल्का पटवारियों को 2 माह का समय प्रदान किया जा रहा है। इस 2 माह की अवधि में भी यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन खसरा/बी-1 की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो, संबंधित व्यक्ति को आवेदन की तिथि से 7 दिवस के भीतर डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रतिलिपि ऑनलाइन प्राप्त हो जावेगी।

विभाग की वेबसाइट <http://revenue.cg.nic.in> में भुइयां सॉफ्टवेयर हेतु दिये गये लिंक "भुइयां" पर क्लिक करने पर या वेबसाइट "bhuiyan.cg.nic.in" पर सीधे लॉग-इन कर भुइयां सॉफ्टवेयर के होम पेज पर पहुंचा जा सकता है। भुइयां सॉफ्टवेयर के होम पेज में नागरिक सुविधा खण्ड में दिये गये लिंक "खसरा/बी-1 हेतु अनुरोध" से कोई भी व्यक्ति खसरा/बी-1 की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय दो स्थितियां हो सकती हैं :-

1. खसरा / बी-1 की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रतिलिपि पूर्व से ही सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हो।
2. खसरा / बी-1 की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रतिलिपि पूर्व से ही सॉफ्टवेयर में उपलब्ध न हों।

प्रथम स्थिति : यदि खसरा / बी-1 की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रतिलिपि पूर्व से ही सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हो, तो आवेदनकर्ता "दस्तावेज प्राप्त करें" लिंक पर जाकर वांछित खसरा/बी-1 की प्रतिलिपि सीधे डाउनलोड कर प्रिंट कर सकता है।

द्वितीय स्थिति : यदि खसरा/बी-1 की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रतिलिपि पूर्व से ही सॉफ्टवेयर में उपलब्ध न हो, तो दस्तावेज हेतु अनुरोध करने पर आवेदनकर्ता को ऑनलाइन पावती प्राप्त होगी, जिस पर उसका आवेदन क्रमांक अंकित होगा।

इस तरह का आवेदन सीधे ही पटवारी के लॉगिन में प्रेषित हो जायेगा। पटवारी के लॉगिन होने पर आवेदन के लिंक को क्लिक करने पर खसरा/बी-1 जिसकी प्रतिलिपि वांछित है, से संबंधित अभिलेख सत्यापन हेतु स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, जिसके प्रविष्टि के पुष्टि के उपरांत पटवारी द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित किया जायेगा। पटवारी द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित करते ही ऐसे अभिलेख ऑनलाइन प्रतिलिपि हेतु उपलब्ध रहेंगे। पटवारी को यह कार्य आवेदक के आवेदन करने के 7 दिवस के भीतर करना होगा।

संबंधित आवेदक या कोई भी अन्य व्यक्ति आवेदन करने के 7 दिवस के बाद वांछित अभिलेख की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रतिलिपि निःशुल्क प्राप्त कर सकेगा। यह स्थिति

आगामी 2 माह तक ही रहेगी । 2 माह पश्चात् सभी खसरा/बी-1 की डिजिटल हस्ताक्षर हो जायेंगे जिसकी सत्यप्रतिलिपि सीधे दस्तावेज प्राप्त करें लिंक के माध्यम से डाउनलोड की जा सकेगी ।

भविष्य में उन अभिलेखों में जिन्हें डिजिटली हस्ताक्षर किया जा चुका है, किसी भी कारण (यथा नामांतरण, बंटवारा आदि के कारण) से कोई परिवर्तन होता है तो भुइयां सॉफ्टवेयर में संबंधित भूमि के मूल अभिलेख में ऐसे परिवर्तन के साथ ही पूर्व डिजिटल हस्ताक्षर युक्त अभिलेख आवेदकों के लिए प्रतिलिपि हेतु उपलब्ध नहीं रहेंगे । ऐसे अभिलेख संशोधन के साथ प्रतिलिपि हेतु पुनः तभी उपलब्ध होंगे, जब संशोधित अभिलेख को पटवारी द्वारा पुनः डिजिटली हस्ताक्षरित कर दिया जाये । यदि ऐसे संशोधित अभिलेखों को पटवारी द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित नहीं किया गया है तो ऊपर बताई गई दूसरी स्थिति के अनुसार ऐसे अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है । यदि किसी आवेदक को संशोधन की पूर्व की स्थिति का अभिलेख प्राप्त किया जाना हो तो इसके लिए उसे संबंधित तहसीलदार को Document ID के साथ आवेदन करना होगा ।

खसरे की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतिलिपि के लिए भुइयां मोबाइल एप्प के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है । ऐसे आवेदनों के विरुद्ध चाहे गये अभिलेख को पटवारी द्वारा जैसे ही डिजिटली हस्ताक्षरित कर दिया जाता है, ऐसे अभिलेखों की प्रतिलिपियां आवेदक के मोबाइल में स्वतः ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जायेंगे ।

भुइयां सॉफ्टवेयर के माध्यम से खसरा एवं बी-1 की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु निम्नांकित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाना होगा :-

1. सर्वप्रथम आवेदक को भुइयां सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा ।
2. साफ्टवेयर के होम पेज पर दिये गये लिंक "खसरा/बी-1 हेतु अनुरोध" को क्लिक करेंगे ।
3. दिये गये फार्म में आवेदक की सामान्य जानकारी (यथा आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नं. तथा खसरा क्रमांक सहित वांछित अभिलेख जिसकी प्रतिलिपि चाहिये का पूर्ण विवरण) प्रविष्टि किया जाना होगा ।
4. इन जानकारीयों को भरने के पश्चात् आवेदन को सुरक्षित करना होगा । आवेदन को सुरक्षित करते ही यदि वह खसरा/बी-1 पहले से ही डिजिटली हस्ताक्षरित किया जा चुका है तो उस दस्तावेज का डाक्यूमेंट आईडी प्राप्त होगा जिसके आधार पर वांछित प्रतिलिपि डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है । यदि वह खसरा/बी-1 पहले से डिजिटली हस्ताक्षरित नहीं है तो आवेदक को आवेदन करने पर आवेदन क्रमांक जारी होगा ।
5. आवेदन करने की तिथि से 7 दिन के पश्चात् आवेदन क्रमांक के माध्यम से आवेदक वांछित अभिलेख की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेगा ।

वांछित अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु भुइयां साफ्टवेयर में दिये गये लिंक "दस्तावेज प्राप्त करें" द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा । आवेदक को आवेदन करते समय प्राप्त आवेदन क्रमांक प्रविष्टि करने पर वांछित अभिलेख की प्रतिलिपि डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेगा, जिसे डाउनलोड कर आवेदक प्रिंट आउट प्राप्त कर सकता है । यदि अभिलेख पूर्व से ही डिजिटली हस्ताक्षरित है, तो बिना आवेदन किये भी ऐसे डिजिटली हस्ताक्षरित प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते हैं ।

भुइयां मोबाइल एप्प (एन्ड्रोइड एप्लीकेशन) के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर युक्त नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

1. सर्वप्रथम मोबाइल के प्ले स्टोर से भुइयां एप्लीकेशन डाउनलोड कर उसे इंस्टाल करेंगे।
2. भुइयां एप्लीकेशन को ओपन करेंगे।

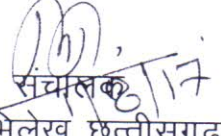
एप्लीकेशन उपयोग की प्रक्रिया :-

1. विवरण देखें पर जाएं
2. विकल्प चुनें
 - A. खसरा विवरण
 - B. खतौनी विवरण
 - C. भू-नक्शा
 - D. हस्ताक्षरित/लंबित आवेदन की सूची।

नोट :- हस्ताक्षर युक्त/लंबित आवेदन की सूची, विकल्प किसी खसरा/बी-1 की प्रतिलिपि के लिए आवेदन भेजने के पश्चात ही दिखाई देगा अन्यथा यह विकल्प प्राप्त नहीं होगा।

डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेज हेतु आवेदन प्रक्रिया :-

1. जिला चुनें - तहसील चुने - ग्राम चुनें -
2. विकल्प चुनें (खसरा वार/ नाम वार) -
3. खसरावार (खसरा क्रमांक प्रविष्टि करें/खसरा चुनें) - विवरण देखें।
4. नामवार (नाम का अंश डालें) - विवरण देखें।
5. डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रतिवेदन हेतु आवेदन बटन का चयन करें।
6. आवेदन हेतु नागरिक को निम्न आवश्यक जानकारी प्रविष्टि करना अनिवार्य है।
(आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर)


संचालक
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़
रायपुर